राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ 2(1) डीओपी / ए–ii / 2014 जयपुर, दिनांक : 10.11.2014

1 समस्त अति. मुख्य सचिव / प्र0 शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध होने के कारण इच्छुक कार्मिकों का अनुसूचित क्षेत्र से बाहर लम्बे समय तक स्थानान्तरण नहीं हो सका है, दूसरी तरफ अनुसूचित क्षेत्र हेतु स्वीकृत पद अनुसूचित क्षेत्र से बाहर के निवासियों से भरे होने के कारण स्थानीय लोगों को अनुसूचित क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल पाया है।

राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2014 के तहत राज्य के अधीनस्थ, मंत्रालयिक एव चतुर्थ श्रेणी सेवा के कार्मिकों से एक बारीय विकल्प लिया जाकर कार्मिकों का अनुसूचित क्षेत्र में एवं अनुसूचित क्षेत्र से स्थानान्तरण किया जा सकता है। अतः स्थानान्तरण चाहने वाले कार्मिकों को शीघ्र राहत देने तथा उक्त नियमों की पालना में अनुसूचित क्षेत्र हेतु स्वीकृत पदों को स्थानीय निवासियों से शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता है। इस हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

1. संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नियमों के नियम 6(3) के अन्तर्गत कार्मिकों से शीघ्र विकल्प पत्र भरवाने की कार्यवाही करें।

2. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में आने वाले कार्मिको को प्राथमिकता से विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित किया जावें।

3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक, जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प देते है, उनके पदों की गणना रिक्त पद के विरूद्ध की जाकर पारिणामिक रूप से उपलब्ध रिक्त पदों पर भर्ती की जावे तथा भर्ती के पश्चात् वैकल्पिक कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने पर ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण अनुसूचित क्षेत्र के बाहर उपलब्ध पदों पर वरिष्ठता के आधार पर किया जावें।

नोटः–नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों व अनुसूचित क्षेत्र के बाहर की रिक्तियो की गणना के आधार पर निष्पादित (Execute) हो सकने वाले विकल्पों की गणना के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त पदों पर अनुसूचित क्षेत्र में भर्ती करने के पश्चात् वैकल्पिक कार्मिक उपलब्ध होने पर ही अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जाने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त करें, ताकि अनुसूचित क्षेत्र में पद रिक्त नहीं रहे।

सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की शीघ्र पालना सुनिश्चित की जावे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता के लिए संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
8. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

31/2014